# मध्यप्रदेश शासन
# पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र.1912 /22/RRDA/2025 भोपाल दिनांक– 06/02/2025

प्रति,

(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत (समस्त)
मध्य प्रदेश

(2) महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (म.प्र.)

**विषयः** **प्रदेश अंतर्गत संपर्कता विहीन बसाहटो के सेटेलाईट सर्वे द्वारा किये गये चिन्हांकन तथा उनके भौतिक सत्यापन हेतु सर्वे के संबंध में।**

––00––

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रो में बारहमासी संपर्कता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पी. एम. जनमन, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सुदूर ग्राम सड़क संपर्क योजना इत्यादि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पात्रता के अनुसार 500, 250 एवं 100 से अधिक जनसंख्या की बसाहटो को संपर्कता प्रदाय की जा रही है।

कार्यकुशलता की दृष्टि से प्रदेश स्तर पर 100 से अधिक जनसंख्या की **ऐसी बसाहटें जो बारहमासी सड़कों से** Connected **नहीं हैं,** के चिन्हांकन का कार्य मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम (MPSeDC) द्वारा सेटेलाईट मैप के माध्यम से किया गया है।

चिन्हित बसाहटो का भौतिक सत्यापन मैदानी स्तर पर किया जाना है। मैदानी स्तर पर उक्त बसाहटो की संपर्कता का भौतिक सत्यापन MPSeDC द्वारा मोबाईल ऐप–**'संपर्कता सर्वे' के** माध्यम से किया जाना है जो **'गूगल प्ले स्टोर'** पर उपलब्ध है। ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन का कार्य पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक/सचिव के द्वारा कराया जाना है, जिन्हें इसके लिए रजिस्टर करने के उपरांत प्राप्त लॉगिन आई.डी. का उपयोग सर्वे हेतु करना है।

कृपया उपरोक्तानुसार सम्पर्क विहीन बसाहटों के भौतिक सत्यापन हेतु सर्वे कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। कार्य 15 मार्च, 2025 तक अविलम्ब पूर्ण किया जावे।

उक्त कार्य हेतु **जिला स्तर पर** महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। महाप्रबंधक के पास जिला स्तर का लॉगिन उपलब्ध रहेगा जो कि ऐप सर्वे कार्य हेतु रजिस्टर किए गए सर्वेकर्ता को एप्रूव करने का कार्य करेंगे तथा आपको दैनिक प्रगति से अवगत करायेगें।

संपर्कता सर्वे मोबाईल ऐप का प्रशिक्षण MPSeDC द्वारा समस्त जिलों में पदस्थ लीड ट्रेनर (ई—दक्ष केन्द्र) को दिया जा चुका है। प्रशिक्षित किए गए लीड ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर के रूप में सर्वेकर्ता कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करेंगे एवं सर्वे के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं का निराकरण करेंगे।

**संलग्न**—प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रारूप—1)।

Dipali Rastogi

**(दीपाली रस्तोगी)**
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

**क.1913 / 22 / RRDA/2025** **भोपाल दिनांक—6 / 02 / 2025**

**प्रतिलिपि** —

1. आयुक्त, मनरेगा, विकास भवन, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल म.प्र. की ओर समस्त जिला ई—गवर्नेंस मैनेजर / लीड ट्रेनर को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने एवं एप के आगामी प्रचालन में मास्टर ट्रेनर के रूप में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, विकास भवन, भोपाल।

**प्रमुख सचिव**
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

**प्रारूप–1**

**संपर्कता सर्वे एप**–ग्राम रोजगार सहायक/सचिव प्रशिक्षण कार्यक्रम

| दिनांक | जिला | पूर्वान्ह | अपरान्ह |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**नोट**–उपरोक्त प्रशिक्षण दिनांक .......... से ............. तक कार्य दिवसो में आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक दिवस में पूर्वान्ह में जिलों अंतर्गत एक ब्लॉक तथा अपरान्ह में एक ब्लॉक के समस्त ग्राम रोजगार सहायक/सचिव/उपयंत्री (मनरेगा) अथवा अन्य नामित अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अपने स्तर पर कार्यक्रम जारी कर उक्त अवधि में प्रशिक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।